



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : Plexh/Cir/488

दिनांक : 05-10-2026

को,

Plexconcil के सभी सदस्य/ COA सदस्य

प्रिय सर/मैडम,

विषय: निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और रसद हस्तक्षेप (आरईएलआईईएफ) हस्तक्षेप के घटक II के अंतर्गत समयसीमा बढ़ाने हेतु

अधिसूचना संख्या 65/2025-26 और 21/2026-27 में संशोधन।

संदर्भ: अधिसूचना संख्या 37/2026-27 दिनांक 30 सितंबर 2026

यह सूचित किया जाता है कि DGFT ने ऊपर दिया गया सर्कुलर जारी किया है, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (RELIEF) के लिए रेजिलिएंस और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन से जुड़े नोटिफिकेशन नंबर 65/2025-26, तारीख 19.03.2026 और 21/2026-27, तारीख 29.06.2026 में बदलाव करता है।

मुख्य बातें:

कंपोनेंट II के तहत एलिजिबिलिटी पीरियड को डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए एलिजिबल शिपमेंट के लिए 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19 मार्च 2026 (समय-समय पर संशोधित) के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

मैंबर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान दें और RELIEF (Component II) इंटरवेंशन के तहत फ़ायदे उठाने के लिए अपने शिपमेंट की प्लानिंग उसी हिसाब से करें। [आपके](#)

रेफरेंस के लिए साथ में दिए गए नोटिफिकेशन:

- नोटिफिकेशन नंबर 37/2026-27 तारीख 30 सितंबर 2026: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202610010252_56.pdf
- नोटिफिकेशन नंबर 65/2025-26 तारीख 19.03.2026: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260320114607.pdf
- नोटिफिकेशन नंबर 21/2026-27 तारीख 29.06.2026 : https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260701111052.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

PLEXCONCIL